



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : उ०पु०/ ७/८
 दिनांक : ०७/०४/२०२२

विज्ञप्ति

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मा० परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.03.2022 की कार्यवृत्त के मद/संकल्प संख्या-11 में परिनिरीक्षण (स्कूटनी) के नियम अंगीकार किये गये हैं, जो निम्नवत हैं :-

1. छात्र/छात्रायें परीक्षाम घोषित होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर विश्वविद्यालय परिसर स्थित इंडियन बैंक की शाखा से परिनिरीक्षण आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। इस आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ भर कर, आवेदन पत्र विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्र सहायता केन्द्र पर जमा करना अनिवार्य होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ अंक तालिका की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. परिनिरीक्षण के अन्तर्गत :-
 - अ. उत्तर पुस्तिका में प्राप्तांकों के योग में त्रुटि होने पर संशोधित प्राप्तांक विद्यार्थी को प्रदान किए जायेंगे।
 - ब. उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर प्राप्तांकों की गलत प्रविष्टि को संशोधित कर सही प्राप्तांक विद्यार्थी को प्रदान किए जायेंगे।
 - स. उत्तर पुस्तिका में अमूल्यांकित (छूटे हुए) प्रश्न/प्रश्नों को आई परीक्षक द्वारा मूल्यांकित कराकर संशोधित प्राप्तांक विद्यार्थी को प्रदान किए जायेंगे।
 - द. उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त प्राप्तांकों की प्रविष्टि अंक पत्र में भिन्न होने पर उत्तरपुस्तिका में प्रदत्त प्राप्तांक विद्यार्थी को प्रदान किए जायेंगे।
 - य. यदि कोई अन्य त्रुटि होगी तो उसका सुधार किया जायेगा।
4. परिनिरीक्षण का परिणाम विलम्ब से आने अथवा परिणाम प्राप्त न होने की दशा में अन्य सम्बन्धित प्रतिलिपि (जैसे- फार्म भरने की अनुमति, विलम्ब शुल्क से मुक्ति आदि) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
5. परिनिरीक्षण परिणाम की सूचना विद्यार्थियों को परीक्षा नियन्त्रक के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट- www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध होगी।

उक्त नियम विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगे।

द्वारा द्वारा
परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदया के सादर संज्ञानार्थ प्रेपित।
02. वैयक्तिक सहायक-प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
03. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
04. वैयक्तिक सहायक-परीक्षा नियन्त्रक को परीक्षा नियन्त्रक जी के सूचनार्थ।
05. वैयक्तिक सहायक-वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
06. समन्वयक, परिनिरीक्षण (स्कूटनी) को सूचनार्थ।
07. समस्त सहा० कुलसचिव (उ०पु०/गोप०/परीक्षा) को सूचनार्थ।
08. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता औ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।
09. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से कि इसे वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
10. प्रभारी, कमेटी सैल को सूचनार्थ।

सहा० कुलसचिव
(उ०पु०/गोप०)